

कार्यालय नगर निगम बरेली।

पत्र संख्या : /57/एस0टी0/अ0न0आ0का0/2020-21

दिनांक: /5.02.2021

सार्वजनिक सूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा 305, 306 एवं 452 में प्रदत्त अधिकारो के अंतर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा 541(48) के अंतर्गत नगर निगम, बरेली (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020 बनायी गयी है। यदि किसी व्यक्ति/विशेष को उक्त उपविधि पर आपत्ति/सुझाव देने हों तो वह 15 दिन के अन्दर नगर निगम की वेबसाईट nagarniagmbareilly.com एवं कार्यालय में अवलोकन कर सकते हैं या नगर निगम, बरेली कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं तथा उक्त नियमावली से सम्बन्धित आपत्ति एवं सुझाव किसी भी कार्यदिवस में लिखित रूप से दे सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति व सुझाव अमान्य होंगे।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम बरेली।

प्रतिलिपि:-

1. मा0 महापौर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी विज्ञापन को इस आदेश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में उपरोक्त निविदा सूचना एक दिन न्यूनतम स्थान पर पर प्रकाशित कराते हुये प्रकाशित अंक की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम बरेली।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा 305, 306 एवं 452 एवं 541(48) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत नगर निगम, बरेली सीमा क्षेत्र में लगे आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा 542 के अंतर्गत प्रस्तावित नगर निगम, बरेली (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020'

1. संक्षिप्त नाम विस्तार (1) यह उपविधि नगर निगम , बरेली (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020'' कही जायेगी।
- (2) इसका विस्तार नगर निगम , बरेली के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।
- (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषायें
 - (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में-
 - (एक) 'अधिनियम' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है।
 - (दो) "विज्ञापनकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।
 - (तीन) "विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्सम्बन्ध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों, और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से सम्प्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भों, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुडी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।
 - (चार) " गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो।
 - (पांच) "पताका" (बैनर) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य आधार से

है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं।

- (छः) “पताका विज्ञापन” का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी पताका का उपयोग कर रहा हो।
- (सात) “चिन्हित स्थल” का तात्पर्य नगर आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात तैयार किये गये ब्लू प्रिन्ट से है।
- (आठ) “निगम” का तात्पर्य नगर निगम, बरेली से है।
- (नौ) “विद्युतीय प्रतीक” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं।
- (दस) “गैन्ट्री विज्ञापन” का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है।
- (ग्यारह) “भू-विज्ञापन” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाडा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिये दृश्य हो।
- (बारह) “प्रदीप्त प्रतीक” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और किसी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो।
- (तेरह) “शामियाना विज्ञापन” का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो।
- (चौदह) “प्रक्षेपित प्रतीक” का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो।
- (पन्द्रह) “मार्ग अधिकार” का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है।
- (सोलह) “छत विज्ञापन” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हों या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।

- (सत्रह) “अनुसूची” का तात्पर्य इस उपविधि में संलग्न अनुसूची से है।
- (अठारह) “बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन” का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टागें गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है।
- (उन्नीस) “पुष्प पात्र (फलावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन” का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे फलावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट्ट लगाने के पश्चात् लगाये जाने से है।
- (बीस) “जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है।
- (इक्कीस) “ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक लाईलैण्ड पर विज्ञापन” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए।
- (बाइस) “प्रतीक संरचना” का तात्पर्य किसी ऐस संरचना से है जिसमें कोई प्रतीक अवलम्बित हो।
- (तेइस) “अस्थायी विज्ञापन” का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिये वांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवेस, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।
- (चौबीस) “अनुज्ञा शुल्क” का तात्पर्य अधिनियम की धारा-541 की

उपधारा-48 के निर्दिष्ट विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क से है।

(पच्चीस) 'ट्री गार्ड विज्ञापन' का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है।

(छब्बीस) "बरांडा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है।

3-स्थल चयन के लिये (1) समिति का गठन

नगर आयुक्त अथवा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्टक के लिये उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिये और उसके आकार, ऊचाई और सौन्दर्यात्मक, पहलू का विनिश्चय करने के लिये बरेली नगर निगम में एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति द्वारा परिलक्षित स्थलों पर अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(3) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों ओर विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4- प्रतिषेध

(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भों, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र,

जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

- (2) नगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा, न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने या लटकाने देगा, यदि ऐसा किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

- (3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

5- विज्ञापन कर्ताओं का पंजीकरण एवं नवीनीकरण

- (1) **विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेंसियों** को पंजीकरण हेतु रू0 50,000/- (पचास हजार) पंजीकरण शुल्क एवं रू0 2,00,000/- (दो लाख) धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।

- (2) पंजीकरण अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा, जिसे रू0 1000/- भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम की वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

- (3) पंजीकरण हेतु नियम व शर्तें निर्धारित करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

6- अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया

- (1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जाएगा, जिसे रू0 1000.00 का भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना, ऐसी

भूमि के स्थल नक्शा सहित निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, या लटकाया जाना वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी :-

- (क) प्रत्येक भू-विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढांचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को उपविधि में निर्धारित मानक के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगणना आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत-विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू-प्रतीकों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक-स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
- (ग) कोई अन्य विशिष्टियां, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हों।
- (घ) गुब्बारा विज्ञापन के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना विज्ञापनकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगे :-
- (क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण।
- (ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सम्बन्धित भवन की सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।
- (ग) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध पत्र, आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना-संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक, रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया "वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के संरचना अभिकल्प, धारा-1 भार बल और प्रभाव" के भाग-4 के अनुसार होगा।
- (घ) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति

प्रमाण पत्र,

- (4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचन देना होगा कि किसी व्यक्ति/कर्म की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिये स्वयं दायी होगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।
- (6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहें तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।
- (7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड/फ्लावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्ड/फ्लावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क के भुगतान करने का दायी होगा।
- (8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाय।
- (9) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि जमा करने की रसीद संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी।
- (1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निर्बन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी, यह कि :-
 - (क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि अनुज्ञा

7-क अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें

शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क, इस उपविधि के अनुसार नगर निगम निधि में संदत्त और जमा किया गया हो।

- (ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापनों पट्टों के मध्य की दूरी 20 मीटर से कम नहीं होगी। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दो यूनीपोल/कैंटीलीवर के मध्य की दूरी 40 मीटर से कम नहीं होगी। विज्ञापन/विज्ञापन पट्ट चौराहे से 30 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा।
- (घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।
- (ङ.) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसके विवरण में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे।
- (छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।
- (ज) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साईकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिये उपलब्ध रहेगी।
- (झ) भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में बाधित नहीं होंगे।
- (ञ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा पत्र को निलम्बित कर दें, जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापन को हटा देगा।
- (ट) विज्ञापनकर्ता को इस उपविधि में उल्लिखित सभी शर्तों और नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली द्वारा

समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

- (ठ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा।
- (ड) भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से भिन्न विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।
- (ढ) विज्ञापन पट्टों का अनुरक्षण तथा निरीक्षण उनके अविलम्ब नियम-24 के अनुसार होंगे।
- (ण) समस्त विज्ञापन नियम-16 "समस्त विज्ञापनों के लिये सामान्य अपेक्षाएँ" में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।
- (त) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़-पौधों में गाड़ा, बांधा नहीं जायेगा।
- (2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा तत्काल समाप्त हो जायेगी।
- (क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जाता है।
- (ख) यदि विज्ञापन पट्ट में कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है अथवा नगर आयुक्त की अनुमति के बिना किया जाता है।
- (ग) यदि विज्ञापन पट्ट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।
- (घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या उसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट्ट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है।
- (ड.) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।
- (1) नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिए स्थल के महत्व के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि नियत करेगा।
- (2) मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए

न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

9— आवेदन पत्रों की
अस्वीकृति के आधार

- (3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित प्रीमियम धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक संलग्न होनी चाहिए। प्रीमियम की शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर जमा करनी होगी।
- नियम-4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है, यह कि :-
- (क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो।
- (ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पडोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्ता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।
- (ग) तम्बाकू से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो।
- (घ) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।
- (ङ) प्रस्तावित विज्ञापन पट से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
- (च) प्रस्तावित विज्ञापन पट से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
- (छ) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो।
- (ज) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा-172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के

दिनांक को असंदत्त हो।

(झ) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझें।

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, या लटकाने हेतु चिन्हित/नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित स्थल पर निम्नलिखित या उससे अधिक रीति से नगर आयुक्त की अनुमति से किया जाना विधि संगत होगा :-

10- अनुज्ञा प्रदान करने की रीति

(एक) सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त कर।

(दो) सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निविदा आमन्त्रित कर।

(तीन) निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जा सकता है, किन्तु अनुज्ञा किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी, यदि यातायात एवं फुटपाथ पर पैदल चलने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो रहा हो।

(चार) निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की लिखित सहमति पर इस उपविधि में दिये गये उपबंधों के अधीन दी जा सकती है।

(पांच) विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अनुज्ञा और नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्रों को अधिकतम 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्ता को सूचित किया जाएगा। यदि नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किया जाना है तो नीलामी/निविदा की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया जायेगा।

11- अनुज्ञा की अवधि

अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट हो। वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी, इनमें जो भी पहले हो, होगी।

12- अनुज्ञा का नवीनीकरण

नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/सम्पूर्ण विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात् अनुज्ञा का नवीकरण नियम 6(3) के अधीन किया जा सकता है। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को अनुसूची-1 के रूप में संलग्न विहित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण होने के पश्चात् देय प्रीमियम/ विज्ञापन

13— विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति

(1) अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता या मिटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकता है :-

(एक) इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और
(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत विज्ञापन प्रभारी के किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित किया जायेगा।

14— विज्ञापन पर निर्बन्धन

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा।

(एक) यदि विज्ञापन पट आकार में 12.2 मीटर ग 6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो।

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग

के मध्य से होते हुए मार्ग से नापे गये 30 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो।

- (तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले नागरिकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
- (चार) नगर आयुक्त की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो।
- (पांच) यह मार्ग के आस -पास एवं मार्ग पट्टरी/पगडंडी पर रखा गया हो।
- (छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो।
- (सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो।
- (आठ) स्थल नियम-22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।
- (नौ) जर्जर स्थिति में हो जिसके आंधी-पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो।
- (2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी :
- (एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिसमें कि यातायात के पहुँचने, या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा व्यवधान उत्पन्न होता है।
- (दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दांयी ओर के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के पड़ने वाले मोड़ के 10 मीटर के भीतर एवं समस्त प्रमुख चौराहे के मध्य की दूरी के 30 मीटर के भीतर।
- (तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुये यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी लाइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर।
- (चार) ऐसे रूप में जिसमें लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतन या अन्य युक्ति के निर्वचन में विध्न व्यवधान उत्पन्न हो।

- (पांच) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों, भित्त पत्रकों, वस्त्र-झण्डियां या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो।
- (छः) ऐसे रूप में जिसमें पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो।
- (सात) जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हों।
- (3) निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने अथवा वालें राइटिंग के साथ साथ सार्वजनिक भवनों, दिशा-सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन-पट्टों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा।
- (दो) सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
- (तीन) गैन्ट्री प्रतीक के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनो छोरों पर स्थान बोधक, दिशा सूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय, जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जाएगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सकें।
- (चार) फलावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाए जा सकेंगे। कैक्टस वाले फलावर पॉट अनुमन्य नहीं होंगे।
- (पांच) सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके हैं एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री-गार्ड/फलावर पॉट लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा।
- (छः) किसी भी पोल पर अधिकतम दो किरॉस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही किरॉस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होंगे।
- (4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी।
- (एक) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिसमें चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिसमें चालन की किसी क्रिया में विघ्न पड़ता हो।
- (दो) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

15- छत के ऊपर के (1)
विज्ञापन
पटों के सम्बन्ध में निर्बन्धन

किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमन्य है।

(2) नियम-6 और नियम-13 के अधीन रहते हुये किसी भवन की छत पर विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई अधिकतम 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षेतिज चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

16- विज्ञापन पटों के प्रकार

विज्ञापन निम्नलिखित प्रकार के होंगे :-

- (क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन/वैद्युत, डिजिटल विज्ञापन
- (ख) एल.ई.डी. स्क्रीन
- (ग) भू-विज्ञापन (यूनीपोल/एक स्तम्भ विज्ञापन पट/कैन्टीलीवर/गेट ऐन्ट्री)
- (घ) छत विज्ञापन (रूफ टॉप)
- (ङ.) बरामदा/दुकान विज्ञापन
- (च) शामियाना विज्ञापन
- (छ) आकाशीय विज्ञापन
- (ज) अस्थायी एवं विविध विज्ञापन
- (झ) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन
- (ञ) जन सुविधा स्थान पर विज्ञापन
- (ट) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन
- (ठ) द्वार विज्ञापन, गुब्बारा विज्ञापन
- (ड) ट्री गार्ड/फलावर पॉट डिस्पले
- (ढ.) गैन्ट्री विज्ञापन
- (ण) बिल्डिंग ग्लास, फसाड वॉलरैप, वाटर टैंक विज्ञापन
- (त) फुट ओवर ब्रिज
- (थ) प्रचार वाहन
- (द) रैन बसेरा पर विज्ञापन
- (घ) पानी की टंकी पर विज्ञापन
- (न) विद्युत पोल पर क्योस्क
- (प) सांकेतिक पट

(क) वैद्युत विज्ञापन और
प्रदीप्त विज्ञापन

क-1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री :- जहाँ प्रतीक पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

क-2 वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन : प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, भाग-8 भवन सेवायें धारा-2, विद्युत

एवं समवर्गीय स्थापना के अनुसार स्थापित किया जाएगा।

- क-3 लाल, तृणमणि जैया या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जाएगा।
- क-4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो, पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जाएंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट्ट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को संतोषजनक रूप से रोका जा सकें।
- क-5 **गहन प्रदीप्ति** : कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा।
- क-6 **परिचालन अवधि** : नगर आयुक्त की राय में जन सुख सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नहीं किया जायेगा।
- क-7 **चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाली** : विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जाएगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर ऊपर से कम न हो।
- क-8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र किया जाना चाहिए।
- ख-1 **सामग्री** : ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 6 मीटर से

अधिक ऊँचाई वाला प्रत्येक भू-विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

ख-2 **आयाम :** कोई भी भू-विज्ञापन भूमि के ऊपर 6 मीटर से अधिक की ऊँचाई में परिनिर्मित नहीं किया जाएगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग के ऊपर जा सकता है।

ख-3 **अवलम्ब और स्थिरक स्थान :** प्रत्येक भू-विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख-4 **स्थल सफाई :** किसी स्थल जिस पर कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो, को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख-5 **यातायात में अवरोध :** ऐसा कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जाएगा जिससे कि किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

ख-6 **तल निर्बाधन :** सभी भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

(ग) छत विज्ञापन

ग-1 **सामग्री :** नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचे, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियाँ अक्षरों या अन्य साज-सज्जों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जाएगी।

ग-2 **अवस्थिति :**

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा तब तक सम्पूर्ण छत

का निर्माण अज्ज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग-3 **क्षेपण (प्रोजेक्शन)** : कोई क्षेपण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाईन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

ग-4 **अवलम्ब और स्थिरक** : प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे।

ग-5 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये।

ग-7 विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(घ) बरामदा विज्ञापन

घ-1 सामग्री : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्ज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

घ-2 आयाम : कोई बरामदा विज्ञापन 01 मीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

घ-3 **संरेखण** : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन, के समान्तर स्थापित किया जाएगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।

घ-4 **स्थान** :- बरामदा पट्टिका को, जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जाएगा -

(एक) बरामदा छत की ओरी के ठीक ऊपर इस तरह से कि वह छत के गाटर से पिछले भाग से वहिर्निष्ठ न हो।

(दो) बरामदा मुंडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर आलंब के बाहरी अग्रभाग

से 20 से.मी. से अधिक वहिर्निष्ट न हो।

(तीन) पेन्ट किए हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरामदा धरनों या मुडेरों पर।

घ-5 लटकते हुए बरामदा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई :- किसी बरामदें से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जाएगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊँचाई पर हो।

घ-6 प्रक्षेपण : घ-4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

(ड.) दीवार विज्ञापन

प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3ग3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के परिनिर्मित किया जायेगा।

(क) प्रतिबन्धित क्षेत्रों/सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा।

(ख) नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य, व अन्य विशिष्टियों के दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में मामले में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(च) प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाएं

च-1 सामग्री : प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवम्लब एवं चौखट पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च-2 प्रक्षेपण एवं ऊँचाई : कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखट की किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी, किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क के 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहाँ अग्रभाग के लिए वी-निर्माण किया गया हो, वहाँ भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओर के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर

होगी।

च-3

अवलम्ब एवं संलग्नक : प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स ऐंकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सकें कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

च-4

अतिरिक्त भार : ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहें वह सेवाई युक्ति के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम के कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय इस प्रकार निर्मित होगा कि अतिरिक्त भार को थाम सकें।

(छ:) शामियाना विज्ञापन पट्टिका छ-1

समग्री : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगी।

छ-2

ऊँचाई : ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और न पगडंडी से ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होगी।

छ-3

लम्बाई : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी।

(ज) आकाश विज्ञापन पट्टिका ज

आकाश विज्ञापन पट्टिका : आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

(झ) अस्थायी विज्ञापन झ

अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं : सचन सर्कस विज्ञापन

पट्टिका

पट्टिकाएं मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

- झ-1 **प्रकार** : झ-2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जायेगी :-
- (क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।
- (ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।
- (ग) कोई विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।
- (घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।
- (ङ) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।
- (च) कपड़े पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाईसेन्स प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं हैं।
- (छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और आकार में अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक के मामले में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो,
- (ज) पेड़ों चट्टानों या पहाडियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।
- झ-2 **अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता** :
- (एक) सार्वजनिक समारोहों के दौरान सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस

प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुँचे।

- (दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से सम्बन्धित होगा जो उस परिसर में या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात् जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।
- (तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने के आदेश यदि उसकी राय में सार्वजनिक सुविधा व सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सशक्त होगा।
- (चार) **पोल विज्ञापन पट्टिका** : पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतया अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती हैं, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।
- (पांच) **अधिकतम आकार** : अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होंगी।
- (छः) **प्रक्षेपण** : कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्ह पट्टिकाएं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शमियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।
- (सात) **विशेष अनुमति** : भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झण्डियां जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर-पार बढ़ जायें, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।
- टिप्पणी मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों में संबंधित इशतहार को

- : इशतहार फलक से भिन्न भवन की दीवारों पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इशतहारों और पोस्टरों के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।
- 17- सभी विज्ञापन पट्टों/
पट्टिकाओं के लिए
सामान्य अपेक्षाएँ
- (1) **भार** : विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग-6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड-1, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भार बल और प्रभाव में दिये गये आंधी डेड से सिस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सकें।
 - (2) **प्रदीप्ति** : कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग-8 भवन सेवाएं खण्ड-2 विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नहीं इस्तेमाल की जायेगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।
 - (3) **विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान** :
 - (क) किसी भी विज्ञापन पट्टिका से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास, या अग्नि शमन प्रायोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आयेगी।
 - (ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं होगी।
 - (ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू-दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिए।
 - (घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएं लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिए।
 - (ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएं स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
 - (च) जहाँ विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचें वहाँ विज्ञापन पट्टिका को लगाये जाने से बचना चाहियें।
 - (छ) विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि

सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सकें।

- (ज) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जायेगी।
- (4) दहनशील पदार्थों का प्रयोग :
- (एक) **सजावटी विशिष्टता** : ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहाँ अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।
- (दो) **विज्ञापन पट्टिका का फलक** : विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नाली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।
- (5) **विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण** : जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाये चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका, प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति विज्ञापनकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचायी है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि से निगम द्वारा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिए।
- (6) **अनुज्ञा पत्र के ब्योरे का प्रदर्शन** : अनुज्ञा-पत्र का ब्योरा और अनुज्ञा की सम्पत्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सकें।

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के

बिना दफती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम अथवा उसके बिना भी, फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाय, तो प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नहीं माना जाएगा और वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाय कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतन्त्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

19- मार्गाधिकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन

सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौंदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापनों को मार्गाधिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी -

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन -

(एक) अभिकल्प : विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर गुणे 1.2 मीटर से अधिक नहीं रखी जायेगी और विज्ञापन के निचले तल की भूतल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(2) **बस सायबानों पर विज्ञापन :-**

अभिकल्प : बस सायबानों (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञापन पट्ट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जायेगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर

नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नम्बर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता, जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा।

(3) **स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन :-**

नियम-13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुँचाने को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर ग 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेंट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) **यातायात रोटरी/सड़क :** नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथ के विकास व रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात/पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क तथा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) **मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियाँ :** नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रखरखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त को अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेंट करने के लिए आबद्ध कर होगा। इस पर लगाने वाले विज्ञापन पट का अधिकतम आकार

0.45 मीटर गुणे 0.75 मीटर होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मी० होगी।

(6) **वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड) :** नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रखरखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद का संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकता है परन्तु 0.90 मीटर से कम चौड़े डिवाइडरों पर ट्री-गार्ड लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।

(7) **पुष्प पात्र स्टैण्ड (फ्लावर पॉट स्टैण्ड) :** नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 गुणे 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दोनो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनो ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी ओर पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जाएगा।

20- छूट

(1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी :-

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायें।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, संकेतन, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को

इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर गुणे 0.6 मीटर से अधिक न हो।

- (पांच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय, किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।
- (छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैंक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अनय वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह 0.90 वर्गमीटर से अधिक न हो।
- (सात) इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (2) से (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रख-रखाव के उत्तरादायित्व से निर्मुक्त है।
- (2) **दीवार विज्ञापन पट्ट** : नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिये किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- (एक) **भण्डारण विज्ञापन पट्ट** : किसी प्रदर्शिन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होने चाहिए।
- (दो) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट** : किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूचना घोषित करते हो।
- (तीन) **नाम पट्ट** : किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्यासी के नाम का इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्गमीटर से अधिक न हो।
- (चार) ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या

सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करते हो।

- (3) **अस्थाई विज्ञापन पट्ट** :
- (एक) **निर्माण स्थल संकेत** : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वस्तुविद के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।
- (दो) **विशेष संप्रदर्शिन संकेत** : अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शनियों या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं हो। (नियम-15झ(2) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता' देखिए)

21— विशेष विज्ञापन

- (1) यदि अनुसूची-2, जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है, द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे अनुबन्ध एवं शर्तों पर और इस उपविधि द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के दो गुना, अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।
- (2) प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रेतर एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रेतर अवधि के लिए हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

22— विशेष नियन्त्रण क्षेत्र

- (1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निर्बन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुमति विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। सार्वजनिक उपयोग के पार्को और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।
- (2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधधीन रहते हुये, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से जैसा कि नगर

आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय सीमित किया जायेगा। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करें, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

- (3) किसी बरामदा/दुकान विज्ञापन की शब्दावल, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम, जो उस परिसर के अध्यासी हो, तक सीमित होगी। भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम यथा "ज्वैलर्स" 'कैफे' "डांसिंग" या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।
- (4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) के अधीन दी गयी अनुज्ञा के सिवाय समान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं प्रदर्शित होगा।

23— निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्ध घोषित करें। इस प्रकार के आदेश के विरुद्ध घोषणा की तिथि से एक माह के भीतर अपील आयुक्त, बरेली मण्डल के समक्ष की जा सकती है।

24— झण्डियों पर रोक

- (1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटाने की क्रिया नहीं करेगा।
- (2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।
- (3) इस उपविधि का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति ऐसे शास्ति

का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाय और वह प्रति झण्डी दो सौ रूपये से कम नहीं होगी।

- (4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समाप्त या विनष्ट कर सकता है।
- 25— अनुरक्षण और निरीक्षण (1) **अनुरक्षण** : सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, उन्हें अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगे, जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनो ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिए रंग-रोगन समय-समय पर किया जायेगा।
- (2) **सुव्यवस्था** : प्रत्येक विज्ञापन, के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरादायित्व होगा कि वह विज्ञापन हेतु छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता, आवश्यक मरम्मत और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।
- (3) **निरीक्षण** : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

26— प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जांच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा तदधीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु —

- (एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- (दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो तो, हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।
- (तीन) जहाँ तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि

27- क्षेत्रों का वर्गीकरण

या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक, ध्यान दिया जायेगा।

विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा -

- (एक) निषिद्ध श्रेणी क्षेत्र
- (दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र
- (तीन) 'अ' श्रेणी क्षेत्र
- (चार) 'ब' श्रेणी क्षेत्र
- (पांच) 'स' श्रेणी क्षेत्र

(एक) (क) निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र :

(ख) स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत होर्डिंग एवं यूपीएल हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व वाले मार्ग।

(2) नगर आयुक्त वी०वी०आई०पी० मूवमेंट, यातायात एवं सुरक्षा की दृष्टि से तथा भविष्य में मेट्रो रेल हेतु निर्धारित रूट पर पिलर के निर्माण को निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिए अधिकृत होंगे।

(दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र :

प्रवर श्रेणी क्षेत्र : सिविल लाईन, रामपुर गार्डन क्षेत्र, रेलवे जंक्शन, पुरानी चुंगी चौकी से चौकी चौराहा होते हुए पटेल चौक मार्ग, कुतुबखाना, घंटाघर क्षेत्र, पटेल चौक से चौपला चौराहा माल गोदाम रोड होते हुए पुलिस लाईन रोड, सिटी स्टेशन मार्ग, चौकी चौराहा से कालेज रोड चौराहा, प्रभा टाकीज मार्ग, शाहमत गंज चौराहा तथा रोडवेज स्टेशन के आस-पास राजेन्द्र नगर चौराहा, प्रेमनगर चौराहा क्षेत्र, जनकपुरी टीबरी, आवास विकास कालोनी क्षेत्र, शांजहांपुर व पीलभीत बाईपास मार्ग, शाहमतगंज व मार्केट के आस-पास, सत्या पेट्रोल पम्प के आस-पास, कोहाड़ापीर, ।

(तीन) 'अ' श्रेणी क्षेत्र :

'अ' श्रेणी क्षेत्र : माडल टाउन, प्रभात नगर, शाहदाना कालोनी, एकतानगर, गांधीनगर, इन्द्रानगर, नरकुलागंज, कानूनगोयान, नैनीताल रोड, रामपुर रोड व ओवर ब्रिज

क्षेत्र, किला क्षेत्र नेकपुर के आस-पास, बदायूं मार्ग, तालाब चौधरी रेलवे क्रासिंग के आस-पास।

(चार) 'ब' श्रेणी क्षेत्र :

'ब' श्रेणी क्षेत्र : शाहदाना, सुभाषनगर, सब्जीमण्डी, आई0वी0आर0आई0 रोड, गंगापुर, कालीबाड़ी, माधोबाड़ी, सिकलापुर, बांसमण्डी, सरायखाम, गुलाबनगर

(पांच) 'स' श्रेणी क्षेत्र :

कालोनी तथा मोहल्ले की मुख्य मार्गों को छोड़कर अन्दर वाला भाग तथा ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं। (प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर)

28- हटाये जाने की लागत

नियम 12 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाये या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगी-

- (क) 6.1 ग 3.05 मीटर या उससे कम के प्रति विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के हटाने की वास्तविक आय -
- (ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से बड़े प्रति विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत -
- (ग) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत
- (घ) किसी सार्वजनिक अथवा निजी दीवारों पर की गयी पेंटिंग के माध्यम से किये गये प्रचार को साफ करने लागत
- (क) 6.1 ग 3.05 मीटर या उससे कम के प्रति रु. 5000/- विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के हटाने की वास्तविक आय -
- (ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या रु. 10000/- विज्ञापन पट्टों से बड़े प्रति विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत -
- (ग) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी रु. 20000/- विज्ञापन अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन पट्ट को प्रति विज्ञापन पट्ट हटाने की लागत
- (घ) किसी सार्वजनिक अथवा निजी दीवारों पर रु. 100/- की गयी पेंटिंग के माध्यम से किये गये प्रति वर्गफिट प्रचार को साफ करने लागत

29- अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन

- (1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु0 10000/- (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रु0 500/- (पांच सौ रुपये) प्रतिदिन तक एवं प्राथमिकी

- दर्ज कराये जाने तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।
- (2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्तून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

प्रपत्र सं.....
मूल्य रू0 1000 /—

अनुसूची-1
पंजीकरण फॉर्म
(देखिए उप-विधि 5(1))
नगर निगम, बरेली

बाहरी विज्ञापन प्रदर्शन के लिये पंजीकरण

01. कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) या समिति दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008(2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) में रजिस्ट्रेशन व्यौरों सहित कम्पनी/फर्म/अभिकरण/स्वामी का नाम –
02. रजिस्टर्ड पता
03. टेलीफोन नम्बरव्यापार.....
फैक्स.....ई-मेल पता
04. निदेशकों/स्वामियों/भागीदारों के व्योरे
- क्र0सं0 फर्म का नाम डी0आई0एन0 नम्बर मोबाईल नं0 ई-मेल पता
- 1
- 2
05. कम्पनी के समय ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद
06. पिछले 03 वर्षों के विज्ञापन कारोबार में अभिकरण का अनुभव, व्योरे यदि उपलब्ध हों
07. अभिकरण के प्रत्येक निदेशक के कार्य अनुभव का विवरण.....
08. निदेशक का विवरण, जो किसी अन्य अभिकरण के निदेशक रहते हुए किसी मामले में दोषी रहे हों
09. पिछले 03 वर्षों की बैलेंसशीट, यदि उपलब्ध हो,
10. अभिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिये न किसी व्यक्तिक निदेशक बोर्ड(संकल्प पारित करके) प्राधिकार पत्र.....
11. बरेली नगर निगम में पिछले 05 वर्षों में प्राप्त विज्ञापन अधिकार/अनुमति के व्योरे.....
12. वचन के अभिकरण, बरेली नगर निगम में उसके विरुद्ध कोई राशि लम्बित नहीं है.....
13. संस्था की किस्म.....
14. पेन नम्बर
15. जी0एस0टी0 नम्बर
16. पंजीकरण राशि

- 17- आवेदक फर्म/कम्पनी को पिछले 03 वर्षों में किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में डाला नहीं गया है- हाँ नहीं
- 18- आवेदक फर्म/कम्पनी में कोई लम्बित बकाया नहीं है- हाँ नहीं
- 19- यदि हां कुल लम्बित राशि का विवरण दें.....
- 20- आवेदक फर्म/कम्पनी में कोई भी मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है- हाँ नहीं

मैं/हम, इस इसके द्वारा बनाई गई विज्ञापन उपविधि/पॉलिसी के निबन्धों तथा शर्तों तथा मार्गदर्शनों का पालन करूंगा/करेंगे- हाँ सहमत

उपरोक्त सूचीबद्ध सूचना भी सत्य तथा प्रमाणिक है तथा इसके सम्बन्ध में प्रतिकूल निष्कर्ष के मामले में रजिस्ट्रेशन रद्द हो जायेगा जमा करें

(ऑफ लाईन प्रस्तुतिकरण के मामलों में, कृपया इस प्रारूप प्रिंट आउट लें तथा " नगर आयुक्त, बरेली नगर निगम में भुगतान योग्य" के पक्ष में नगर निगम द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट ऐसी धनराशि के डिमान्ड ड्राफ्ट सहित इसे प्रस्तुत करें।)

टिप्पणी:- यह केवल एक प्रतीकी प्रारूप है तथा समय समय परके नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अध्याधीन है। वैबसाइट से नवीनतम संस्करण हमेशा प्रयोग किया जाना है।

नोट:- सभी सूचना भरना अनिवार्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर
नाम

पता

दूरभाष

प्रपत्र सं.....

मूल्य रू0 1000/-

अनुसूची-2

(नियम 6(1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम.....

1. अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम.....

.....

पता.....

.....

2. आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार.....

3. विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार (लम्बाई x चौड़ाई मीटर में).....

4. स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति.....

5. भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या निवासी का नाम

.....

6. क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है ?

7. (एक) यदि निजी स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ भू/भवन स्वामी की लिखित अनुमति, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(दो) भू/भवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र, कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में वह देय अनुज्ञा शुल्क के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

(तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता (Structure Engineer) द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट।

8. (एक) अनुसूची-2 के अनुसार वार्षिक अनुज्ञा शुल्क.....

(दो) किश्त की धनराशि.....

9. देय प्रीमियम/नवीनीकरण अनुज्ञा शुल्क.....

10. कोई अन्य विवरण

संलग्नक :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

दूरभाष नं0

मोबाईल नं0

विज्ञापनकर्ता का
पासपोर्ट आकार
का रंगीन चित्र

अनुसूची-3
(नियम 26 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट पर अनुज्ञा शुल्क की दरें।

अनुज्ञा शुल्क की दरें-

1. एक स्तम्भ विज्ञापन पट – 20X10 (फुट)
रु. 3500/- (तीन हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 2. एकस्तम्भ (यूनीपोल) पर विज्ञापन पट – 30X10 (फुट) एवं 20X10 (फुट)
रु. 3500/- (तीन हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 3. कैंटीलीवर पर विज्ञापन – 20X10 (फुट)
रु. 3500/- (तीन हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 4. गेट एन्ट्री पर विज्ञापन – 50X10 (फुट)/सड़क की चौड़ाई के आधार पर
रु. 3500/- (तीन हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 5. विद्युत पोल/ट्री-गॉर्ड/फ्लॉवर पॉट/जन सुविधा पर विज्ञापन पट –
रु. 3500/- (तीन हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 6. बस शेल्टर/पुलिस बूथ/ट्रैफिक आईलैण्ड : –
 - (1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु. 4500/- (चार हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 - (2) "अ" श्रेणी क्षेत्र : रु. 3750/- (तीन हजार सात सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 - (3) "ब" श्रेणी क्षेत्र : रु. 3000/- (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 - (4) "स" श्रेणी क्षेत्र : रु. 2250/- (दो हजार दो सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 7. (1) एल.ई.डी. स्क्रीन के माध्यम से संचालित विज्ञापन हेतु उपरोक्त अनुज्ञा शुल्क के कम संख्या-1 से 4 तक निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।
(2) ट्यूबलाइट, एल.ई.डी. लाईट, सोडियम लाईट, बल्ब व अन्य माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट हेतु उपरोक्त अनुज्ञा शुल्क के कम संख्या-1 से 4 तक निर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।
(3) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त अनुज्ञा शुल्क के कम संख्या-1 से 2 की निर्दिष्ट दरों का 75 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।
 8. (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)
(एक)हल्का वाहन : रु. 625.50/- (छः सौ पच्चीस रु0 पचास पैसा) प्रतिमाह प्रति वाहन
(दो)भारी वाहन : रु. 2500/- (दो हजार पांच सौ) प्रतिमाह प्रति वाहन
(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर –
(एक) तीन पहिया : रु. 225/- (दो सौ पच्चीस) प्रति दिन
(दो) चार पहिया : रु. 450/- (चार सौ पचास) प्रति दिन
(तीन) छः पहिया : रु. 1125/- (एक हजार एक सौ पच्चीस) प्रति दिन
- नोट : यदि वाहनों पर डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रदर्शन किया जाता है, तो उपरोक्त दरें 100 प्रतिशत वृद्धि के साथ देय होगा।

9. गुब्बारे : रू. 750/- (सात सौ पचास) प्रतिदिन
10. छतरी (कैनोपी) : रू. 337/- (तीन सौ सैंतीस) प्रतिदिन
11. ऑटों रिकशा थी-व्हीलर : रू. 150/- (एक सौ पचास) प्रतिमाह प्रति आटो
12. बसों पर : रू. 300/- (तीन सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह
13. रेलवे की जमीन पर लगाने वाली होर्डिंग जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में अनुसूची-2 में अंकित अनुज्ञा शुल्क की दरों के क्रमांक-1 के अनुसार 75 प्रतिशत देय होगा।
14. उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 3 माह का अनुज्ञा शुल्क मद संख्या-1 के अनुसार लिया जायेगा।
15. ध्वनि विस्तारक यंत्र : रू. 150/- प्रति बाक्स/स्पीकर प्रति दिन
16. जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है उनका अनुज्ञा शुल्क क्रमांक-1 के अनुसार देय होगा।
17. निजी भूमि/भवन पर स्ट्रक्चर लागने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सुदृढीकरण का प्रमाण पत्र, भवन स्वामी का अनुबंधनामा, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा। इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण :-

1. अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।
2. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 03 माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश कर सकते हैं कि अनुज्ञा शुल्क मासिक आधार पर आंगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जाएगी।
3. अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।